निर्मित किये जाने वाली संचरना एवं अन्य वैकल्पिक संरेखण के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण

1. अपर गढ़वाली पेयजल योजना के निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि यह क्षेत्र पूर्व से ही पाईन लाईन से आच्छादित है एवं विगत वर्षों में जनसंख्या में वृद्धि के फलस्वरूप पेयजल की किल्लत निरन्तर बढ़ती जा रही है। प्रस्तावित ओवर हैड टैंक के निर्माण से अतिरिक्त पेयजल की आपूर्ति किया जाना नितान्त आवश्यक है। क्षेत्र की पेयजल समस्या के दृष्टिगत शासन द्वारा प्रश्नगत परियोजना के शीघ्र निर्माण के आदेश दिये गये हैं।

2. चूंकि यह प्रस्ताव मात्र ओवर हैड टैंक के निर्माण हेतु प्रस्तावित किया गया है, जैसाकि लैण्ड शैड्यूल में स्पष्ट किया गया है। चूंकि पानी ओवर हैड टैंक का निर्माण पानी की उपलब्धता के स्थान पर ही किया जाना होता है, अतः वैकल्पिक संरेखण/स्थल का चयन सम्भव नहीं है।

3. प्रस्तावित परियोजना के निर्माण हेतु मात्र ओवर हैड टैंक के निर्माण हेतु वन भूमि की आवश्यकता है, अतः अन्य अवयव (पाईप लाईन्) पूर्व से ही गैर वन भूमि में निर्मित हैं, का विवरण नहीं दिया गया है। इस ओवर हैड टैंक के निर्माण हेतु ही 0.075 हे0 वन भूमि की आवश्यकता है।

उपरोक्त के मध्यनजर अनुरोध है कि कृपया इस महत्वपूर्ण पेयजल परियोजना के निर्माण हेतु शीघ्रातिशीघ्र स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।